

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी- मूलचन्द लूणियां आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 70/2022

निर्णय दिनांक : 28/03/2023

1. केशर पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
2. खींवाराम पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
3. नोपाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
4. बनवारीलाल पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
5. भगवानीदेवी पत्नी बोदूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
6. मनीराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
7. रणजीत पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
8. रामनिवास पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
9. रामूराम पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
10. लिछमणराम पुत्र बोदूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
11. हजारीराम पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

1. किस्तुरा पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
2. खिवणीदेवी उर्फ खिनवीदेवी पुत्री तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
3. गोमा पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
4. परमेश्वर पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
5. बालूराम पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
6. भगवाना पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
7. मोहन दतक पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
8. सोहन पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
9. सोहन पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
10. हरफूल पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
11. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....प्रतिवादीगण


13. महावीरप्रसाद पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....गौण प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक कृषि भूमि एवं दुरुस्ती रेकार्ड व विभाजन

अन्तर्गत धारा 88,53 राज काश्तकारी अधिनियम




उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपस्थित :-

2

1. श्री हरीशचन्द्र पारीक, श्री राजकुमार चायल एडवोकेट वादीगण
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 श्री रतनलाल साद एड.
3. प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज
4. प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित।
5. गौण प्रतिवादी संख्या 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही



निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं वादीगण व गौण प्रतिवादीगण संख्या 13 स्व. घमण्डाराम के वारिस है स्व घमण्डाराम के एक पुत्र जीवणराम हुआ। जिनके सात पुत्र क्रमशः भैराराम, हेमाराम, पोकरराम, बोदूराम, पूर्णराम, दुलाराम, खीवाराम हुए पूर्णराम अपने ससुराल लक्ष्मणगढ़ तहसील हाल नेछवा के ग्राम जेवली गोद चला गया व अपने भाइयों व भतीजों के पक्ष में हक परित्याग करके व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 व स्व. घमण्डाराम जो वादीगण एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 के वंश पुरुष थे जिनका सगा भाई घोटाराम था प्रतिवादीगण स्व. घोटाराम के वारिसान है स्व घोटाराम के तीन पुत्र चूनाराम, तेजाराम व तुलछाराम हुए व स्व चुनाराम के कोई औलाद न होने से अपने भाई तेजाराम के पुत्र मोहनराम प्रतिवादी संख्या 7 को गोद ले लिया। शेष प्रतिवादीगण स्व तेजाराम व स्व तुलछाराम के वारिसान है।

यह कि सीमा ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के खेत ख.स. 136 तादादी 0.0632 हैक्टेयर व खेत ख.स. 137 तादादी 4.0716 हैक्टेयर व खेत ख.स. 139 तादादी 3.9073 हैक्टेयर व खेत ख.स. 175 तादादी 0.1896 हैक्टेयर व खेत ख.स. 207 तादादी 4.3625 हैक्टेयर व खेत ख.स. 212 तादादी 1.9852 हैक्टेयर व ख.स. 87 तादादी 2.4910 हैक्टेयर व ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर व ख.स. 90 तादादी 2.7556 हैक्टेयर कुल कित्ता 10 कुल तादाद 23.2158 हैक्टेयर वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

यह कि रोही मौजा खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के ख.स. 138 तादादी 3.2624 हैक्टेयर व ख.स. 91 तादादी 2.0990 हैक्टेयर व ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व ख.स. 93 तादादी 3.7682 हैक्टेयर व ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 कुल तादाद 12.1896 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है।

यह कि हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर तथा ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग की कृषि भूमि है परन्तु इन दोनों खसराजात की भूमि राजस्व

कर्मचारियों ने भूल से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज कर दी कब्जा अर्सा जायद 70 वर्ष पहले इस कृषि भूमि को वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के मोरिस आला स्व जीवणराम के साथ व उनके देहान्त के पश्चात् वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जा परिपक्व हो चुका है तथा वादीगण अपने कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग की कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम खातेदारी करवाने के मुस्तहक है तथा वादीगण के खातेदारी में दर्ज ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम एक ही परिवार के व्यक्ति होने से नाम खातेदारी में दर्ज हो गया परन्तु वास्तविक रूप

से ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल तादादी 3.3888 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के कब्जा अधिकार की कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं जो

19/15/
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपस्थित :-

2

1. श्री हरीशचन्द्र पारीक, श्री राजकुमार चायल एडवोकेट वादीगण
- 2 प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 श्री रतनलाल साद एड.
3. प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज
4. प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित।
5. गौण प्रतिवादी संख्या 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही



निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं वादीगण व गौण प्रतिवादीगण संख्या 13 स्व. घमण्डाराम के वारिस है स्व घमण्डाराम के एक पुत्र जीवनराम हुआ। जिनके सात पुत्र क्रमशः भैराराम, हेमाराम, पोकरराम, बोदूराम, पूर्णराम, दुलाराम, खीवाराम हुए पूर्णराम अपने ससुराल लक्ष्मणगढ़ तहसील हाल नेछवा के ग्राम जेवली गोद चला गया व अपने भाइयों व भतीजों के पक्ष में हक परित्याग करके व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 व स्व. घमण्डाराम जो वादीगण एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 के वंश पुरुष थे जिनका सगा भाई घोटाराम था प्रतिवादीगण स्व. घोटाराम के वारिसान है स्व घोटाराम के तीन पुत्र चुनाराम, तेजाराम व तुलछाराम हुए व स्व चुनाराम के कोई औलाद न होने से अपने भाई तेजाराम के पुत्र मोहनराम प्रतिवादी संख्या 7 को गोद ले लिया। शेष प्रतिवादीगण स्व तेजाराम व स्व तुलछाराम के वारिसान है।

यह कि सीमा ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के खेत ख.स. 136 तादादी 0.0632 हैक्टेयर व खेत ख.स. 137 तादादी 4.0716 हैक्टेयर व खेत ख.स. 139 तादादी 3.9073 हैक्टेयर व खेत ख.स. 175 तादादी 0.1896 हैक्टेयर व खेत ख.स. 207 तादादी 4.3625 हैक्टेयर व खेत ख.स. 212 तादादी 1.9852 हैक्टेयर व ख.स. 87 तादादी 2.4910 हैक्टेयर व ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर व ख.स. 90 तादादी 2.7556 हैक्टेयर कुल कित्ता 10 कुल तादाद 23.2158 हैक्टेयर वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

यह कि रोही मौजा खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के ख.स. 138 तादादी 3.2624 हैक्टेयर व ख.स. 91 तादादी 2.0990 हैक्टेयर व ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व ख.स. 93 तादादी 3.7682 हैक्टेयर व ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 कुल तादाद 12.1896 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है।

यह कि हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर तथा ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग की कृषि भूमि है परन्तु इन दोनों खसराजात की भूमि राजस्व

कर्मचारियों ने भूल से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज कर दी कब्जा अर्सा जायद 70 वर्ष पहले इस कृषि भूमि को वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के मोरिस आला स्व जीवनराम के साथ व उनके देहान्त के पश्चात् वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जा परिपक्व हो चुका है तथा वादीगण अपने कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग की कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम खातेदारी करवाने के मुस्तहक है तथा वादीगण के खातेदारी में दर्ज ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम एक ही परिवार के व्यक्ति होने से नाम खातेदारी में दर्ज हो गया परन्तु वास्तविक रूप

से ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल तादादी 3.3888 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के कब्जा अधिकार की कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं जो

जय खण्ड अधिकाारी
सुजानगढ़

स्वर्गीय घमण्डाराम के सगे भाई घोटाराम के वारिसान है तथा अर्सा जायद करीब 70 वर्ष से उन्हीं के कब्जा, अधिकार काश्त में है वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम मात्र खातेदारी में चली आ रही है। हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ की कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग की कृषि भूमि है। मात्र भाई होने व भूलवश राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज हुई है वादीगण के कब्जा, काश्त व मिल्कीयती की भूमि होने के बावजू प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण व गौण प्रतिवादी अपने वाजिव कानूनी अधिकारों से महरूम हुवे हैं। वादीगण को आवश्यक हो गया कि हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज करवाये।

यह कि रोही खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 केशर का 1/12 व वादी संख्या 2 खीवाराम का 1/6, वादी संख्या 3 नोपाराम का 1/12, वादी संख्या 4 बनवारीलाल का 1/12, वादीनी संख्या 5 भगवानीदेवी का

1/42, वादी संख्या 6 मनीराम का 1/12, वादी संख्या 7 रणजीत का 1/12, वादी संख्या 8 रामनिवास का 1/12, वादी संख्या 9 रामूराम का 1/18, वादी संख्या 10 लिछमणराम का 1/7 व वादी संख्या 11 हजारीराम का 1/18 एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 महावीरप्रसाद का 1/18 हिस्सा है। वादीगण अपने अपने हिस्सानुसार काबिज है तथा वर्तमान में उपयोग-उपभोग काश्त करते फसल बोते लाटते चले आ रहे हैं एवं हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.3888 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा है जो उनके कब्जा अधिकार स्वामित्व में है तथा काश्त करते फसल बोते, लाटते चले आ रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 एवं प्रतिवादी संख्या 11 से ऋण ले रखा है इसलिए पक्षकार संयोजित किया है। राजस्थान सरकार भू-धारक होने व समस्त राजस्व रेकॉर्ड उनके पावर व पजेशन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। सिवाय राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के अन्य कोई अनुतोष राजस्थान सरकार से नहीं चाहा गया है। राजस्थान सरकार के विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व कानूनी नोटिस धारा 80 सीपीसी 2 माह का अवधि दिया जाना आवश्यक है परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि वे वादीगण के हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के नाम करवा दे पहले तो वे टालमटोल करते रहे फिर बाद में वो साफ इंकार हो गये। अतः दावा अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने के कारण प्रस्तुत है।

अतः घोषित किया जावे कि रोही खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर में

59
घमण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 खातेदार काबिज काशतकार हैं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड शून्य व निष्प्रभावी है। तथा वादी संख्या 1 केशर का 1/12 व वादी संख्या 2 खीवाराम का 1/6, वादी संख्या 3 नोपाराम का 1/12, वादी संख्या 4 बनवारीलाल

का 1/12, वादीनी संख्या 5 भगवानीदेवी का 1/42, वादी संख्या 6 मनीराम का 1/12, वादी संख्या 7 रणजीत का 1/12, वादी संख्या 8 रामनिवास का 1/12, वादी संख्या 9 रामूराम का 1/18, वादी संख्या 10 लिछमणराम का 1/7 व वादी संख्या 11 हजारीराम का 1/18 एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 महावीरप्रसाद का 1/18 हिस्सा है। जो खातेदारी राजस्व में रेकॉर्ड में दर्ज की जावे। हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु का विभाजन किया जाकर अकेले वादीगण के नाम हिस्सानुसार अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावे।

हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.3888 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम उनके हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादी को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की ओर से श्री रतनलाल साद एड. ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ ही वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ के हाल ख.स. 136 तादादी 0.0632 हैक्टेयर हाल ख.स. 137 तादादी 4.0716 हैक्टेयर, हाल ख.स. 139 तादादी 3.9073 हैक्टेयर हाल ख.स. 175 तादादी 0.1896 हैक्टेयर हाल ख.स. 207 तादादी 4.3625 हैक्टेयर हाल ख.स. 212 तादादी 1.9852 हैक्टेयर हाल ख.स. 87 तादादी 2.4910 हैक्टेयर हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर हाल ख.स. 90 तादादी 2.7566 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल तादादी 23.2158 हैक्टेयर वादीगण प्रथम पक्ष एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं हाल ख.स. 138 तादादी 3.2624 हैक्टेयर व ख.स. 91 तादादी 2.0990 हैक्टेयर हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर हाल ख.स. 93 तादादी 3.7682 हैक्टेयर हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल तादादी 12.1896 हैक्टेयर प्रतिवादीगण 1 ता 9 द्वितीय पक्ष राजीनामा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ वादीगण प्रथम पक्ष एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 के कब्जा काशत उपयोग-उपभोग की कृषि

भूमि है परन्तु इन दोनों खसराजात की भूमि राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज कर दी। जबकि उपरोक्त खसराजात की भूमि वादीगण प्रथम पक्ष के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने पर द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई उजर आपत्ति नहीं है। हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर वादीगण प्रथम पक्ष एवं गौण प्रतिवादीगण संख्या 13 के हक हिस्सा पांति उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है तथा उन्हीं का इस पर कब्जा काशत है। अतः राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कर ख.स. 92 व 94 वादीगण प्रथम पक्ष व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम दर्ज उनके हिस्सा प्रथम पक्ष राजीनामा के अनुसार केशर का 1/12, खीवाराम का



रूप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

1/6, नोपाराम का 1/12, बनवारीलाल का 1/12, भगवानीदेवी का 1/42, मनीराम का 1/12, रणजीत का 1/12, रामनिवास का 1/12, रामूराम का 1/18, लिछमणराम का 1/7, हजारीराम का 1/18 हिस्सा व गौण प्रतिवादी संख्या 13 महावीरप्रसाद का 1/18 हिस्सा प्रथम पक्ष राजीनामा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज है जो द्वितीय पक्ष राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है। जो भूलवश वादीगण के नाम दर्ज हुई है। जिसको दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा है जो उनके हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जावे तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादाद 1.9726 हैक्टेयर वाके सीमा ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्व रिकॉर्ड में प्रथम पक्ष वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम खातेदारी में उपरोक्तानुसार दर्ज कर दी जावे एवं द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज खातेदारी से हटाई जावे।

यह कि हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी द्वितीय

पक्ष राजीनामा द्वितीय पक्ष संख्या 1 ता 9 के नाम राजीनामा में उपरोक्तानुसार द्वितीय पक्ष के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा इन खसराजात की भूमि में दर्ज प्रथम पक्ष के नाम दर्ज खातेदारी में से हटाये जावे। मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 10 ने उपस्थित होकर आदेशिका के हासिया में अंकन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 किस्तुरा द्वारा ऋण ले रखा था जो प्रतिवादी संख्या 1 किस्तुरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 को चुका दिया गया है जिससे अब प्रतिवादी संख्या 10 का कोई हित नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 11 व गौण प्रतिवादी संख्या 13 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 12 राज पैरोकार ने उपस्थित होकर आदेशिका के हासिया में राजहित प्रभावित

नहीं होने का अंकन किया।

बहस अन्तिम सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक वादपत्र दावा वादीगण डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किये जाने का कथन किया। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अवलोकन व मनन से स्पष्ट है कि हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर एवं हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर जो कि वादीगण प्रथम पक्ष तथा गौण प्रतिवादी संख्या 13 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि है परन्तु इन दोनों खसराजात की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण

संख्या 1 ता 9 उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने बाबत् सहमत हैं तथा हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज है जो द्वितीय पक्ष राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है जिसको द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जावे तो प्रथम पक्ष वादीगण को कोई आपत्ति नहीं बल्कि सहमति है। अन्य खसरेजात यथावत प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष राजीनामा के नाम दर्ज रहे।

उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेज के अवलोकन एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर एवं हाल ख.स. 94 तादादी 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2

कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जो कि वादीगण प्रथम पक्ष तथा गौण प्रतिवादी संख्या 13 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के नाम अपने हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा मुताबिक राजीनामां डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

घोषित किया जाता है कि रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के हाल ख.स. 92 तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादाद 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 केशर का 1/12 व वादी संख्या 2 खीवाराम का 1/6 , वादी संख्या 3 नोपाराम का 1/12, वादी संख्या 4 बनवारीलाल का 1/12, वादीनी संख्या 5 भगवानीदेवी का 1/42, वादी संख्या 6 मनीराम का 1/12, वादी संख्या 7 रणजीत का 1/12, वादी संख्या 8 रामनिवास का 1/12, वादी संख्या 9 रामूराम का 1/18, वादी संख्या 10 लिछमणराम का 1/7 व वादी संख्या 11 हजाराराम का 1/18 एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 महावीरप्रसाद का 1/18 हिस्सा में खातेदार काबिज काश्तकार हैं एवं रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ के हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.3888 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्तकार हैं। उपरोक्त खसराजात बाबत् वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड शून्य एवं निष्प्रभावी है। शेष खसराजात की भूमि यथावत वादीगण, गौण प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रहे। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/23... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।



मूलचन्द लूणियां
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगर
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगर

डिकरी व मुकदमें इक्टदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस

केशर आदि बनाम किस्तुरा आदि
दावा बाबत डिकरी घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरस्ती एवं संयुक्त खातेदारी विभाजन
मुकदमा न0 70 सन 2022

यह मुकदमा आज वारते इन्फिसाल कतई रु-व-रु
हाजरी श्री हरीशचन्द्र पारीक एड. श्री रतनलाल साद एड. मिनजानिव मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिव मुदापलाह पेश होकर
हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

घोषित किया जाता है कि रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के हाल ख.स. 92
तादादी 1.0874 हैक्टेयर व हाल ख.स. 94 तादाद 1.9726 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.0600
हैक्टेयर में वादी संख्या 1 केशर का 1/12 व वादी संख्या 2 खीवाराम का 1/6, वादी संख्या 3 नोपाराम
का 1/12, वादी संख्या 4 बनवारीलाल का 1/12, वादी संख्या 5 भगवानीदेवी का 1/42, वादी संख्या
6 मनीराम का 1/12, वादी संख्या 7 रणजीत का 1/12, वादी संख्या 8 रामनिवास का 1/12, वादी
संख्या 9 रामूराम का 1/18, वादी संख्या 10 लिछमणराम का 1/7 व वादी संख्या 11 हजारीराम का
1/18 एवं गौण प्रतिवादी संख्या 13 महावीरप्रसाद का 1/18 हिस्सा में खातेदार काबिज काशतकार हैं एवं
रोही ग्राम खोडा तहसील सुजानगढ़ के हाल ख.स. 88 तादादी 2.6807 हैक्टेयर व हाल ख.स. 89 तादादी
0.7081 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादाद 3.3888 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 5/48 हिस्सा व
प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का
1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7
का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा अपने
अपने हिस्सानुसार काबिज काशतकार हैं। उपरोक्त खसराजात बाबत वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड शून्य एवं
निष्प्रभावी है। शेष खसराजात की भूमि यथावत वादीगण, गौण प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रहे।
चीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलमाबी तक को अदा करे।

वसवत मेरे दस्तखत उपखण्ड अदालत के आज तारीख 20 माह 03. 2023

मुहर



दस्तखत

उप खण्ड अधिकारी

ओहदा सुजानगढ़

	रुपया	पे.	मुद्दायलाई	रुपया	पे.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।